

क्या आप असुरक्षित तरीके से विदेश में काम/ नौकरी करने जा रहे हैं ?



GLOBAL
FUND
TO
END
MODERN
SLAVERY



यदि हाँ...

तो सावधान रहिये! आपकी कमजोरी और मज़बूरी का फ़ायदा उठाया जा सकता है और आप विदेश में बंधुआ मजदूरी के शिकार हो सकते हैं....



विदेश में बंधुआ मजदूरी की परिस्थितियाँ जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है।




वेतन का भुगतान नहीं करना




नियोक्ता या अवैध एजेंट द्वारा पहचान दस्तावेजों/ पासपोर्ट पर कब्जा करना



शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार होना



निर्धारित समय से अधिक जबरदस्ती काम करवाना एवं उस काम के वेतन का भुगतान नहीं करना




दुसरो से अलग रखना (एकांत में रखना)



घूमने या कहीं आने जाने पर प्रतिबंध



धोखाधड़ी



कर्ज न चुकाने पर बंधक बनाना



डराना-धमकाना



अपमानजनक काम कराना



खराब स्थिति में रहना

सुरक्षित प्रवासन सम्बंधित जानकारी, प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए एम.आर.सी 9935482070 या टोल-फ्री नंबर 18005470206 पर संपर्क कर सकते हैं।

अगर आप विदेश में बंधुआ मजदूरी से बचना चाहते हैं

- विदेश तभी जाए जब आपके पास वर्क वीज़ा, जॉब कॉन्ट्रैक्ट (नौकरी अनुबंध) और विश्वसनीय नियोक्ता की जांच आपने कर ली हो।
- आप विदेश में भारतीय दूतावास/ मिशन का पता और फ़ोन नंबर आपके पास हो।
- विदेश में श्रम कानूनों की जानकारी हो।
- भारत सरकार द्वारा संचालित मदद पोर्टल और ई- माइग्रेंट पर प्रवासी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।